

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक- 9294 / मी०क्षे० / 33 / मीरजापुर, दिनांक, दिसम्बर, 21- 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनमढ़ के ओबरा वन प्रभाग में 400 के०वी० ओबरा ली०लो० विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7,5118हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-3275/11-सी- एफ०पी०/यू०पी०/ट्रांस/44753/2020 दिनांक-20.05.2022, पत्रांक-499/11-सी- एफ०सी०/यू०पी०/ट्रांस/44753/2020 दिनांक-10.08.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे। प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक- 10.08.2022 द्वारा 11 बिन्दुओं पर इंगित की गयी कमियों का निराकरण किये जाने के निर्देश किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्र सं०-1293/ओबरा/15500 हे० दिनांक 18.12.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण करते हुए संस्तुति सहित निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु ऑनलाईन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र डिलिट कर संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र यथास्थान पर अपलोड नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि ऑनलाईन भाग-2 के Additional Information Detail में संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में पुनः प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उल्लंघन नु किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रकरण में लीज अवधि दिनांक-01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक-01.10.2019 के पश्चात भी वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया गया है। अतः उल्लंघन के सम्बन्ध में सही स्थिति का उल्लेख करते हुए संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि 400 के० वी० ओबरा ली०लो० डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण में ओबरा वन प्रभाग की लगभग 19.968 हे० वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या 8 बी/04/1692/ 98एफ०सी०, दि०- 08.03.1999 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था। जिसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है एवम् इसके क्रम में उप सचिव उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-जी आई०/322/14.02.99/700(2)/97 दिनांक- 01.10.99 द्वारा उक्त विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968 हे० वन भूमि 20 वर्षों हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था। जिसकी लीज अवधि दिनांक-01.10.2019 को समाप्त हो चुका है। तत्पश्चात आनलाईन पोर्टल पर लीज नवीनीकरण हेतु कुछ अभिलेखों की आवश्यकता थी, जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1358 वि०प्रे०खं० द्वितीय (वा०) दिनांक 29.08. 2019 तथा उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक-130 वि०प्र०उ०खं० तृतीय (रा०) दिनांक-21.10.2019 द्वारा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया

R

		था, जिसके क्रम में वन विभाग ओबरा द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी को संयुक्त निरीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक-28.12.2019 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसके क्रम में अवगत कराया गया कि ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी की धारा-20 की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण उक्त लाइन में प्रभावित होने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल तथा गाटा उपलब्ध नहीं हो सका। ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी की धारा-20 की अधिसूचना दिनांक-15.06.2020 को निर्गत किया गया, जिसके पश्चात आवश्यक अभिलेखों के साथ दिनांक-22.07.2020 को लीज नवीनीकरण हेतु आनलाइन डाटा इन्ट्री किया गया। भारत सरकार के पत्र संख्या-8बी/04/1692 /98एफ०सी० दि०-08.03.1999 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु दी गई अनुमति में कोई समय सीमा नहीं दिया गया है तथा वर्ष 2019 से नए सर्किल रेट से लीज का रेट भी ससमय जमा किया जाता रहा है। अतः इस कार्यालय द्वारा दिनांक-01.10.19 के पश्चात भी उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न माना जाये। समविषयक प्रकरण (400 के०पी० अनपरा वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन) में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूंकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91- एफ०सी० दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन०पी०वी० की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।"
3	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक-1428/11-सी दिनांक- 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डी०एस०एस० एनालिसिस से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र पुनः संलग्न नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि बिन्दु संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है, के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त लाइन में प्रभावित वन भूमि 19.968हे० के लीज के समय प्रस्तावक विभाग द्वारा 19.968हे० गैर वन भूमि पर वनीकरण हेतु रुपये 8,55,968.00 रुपये मात्र प्रभागीय वनाधिकारी, कंमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर को उपलब्ध करा दी गयी थी। वर्तमान में कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया गया और न ही किया जाना है। जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नहीं बनती है।
4	प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दूगने अवनत वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	
5	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन पुनः संलग्न नहीं किया गया है।	

	अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	
6	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित जियो रिफरेंसड डिजिटल मैप प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	
7	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	
8	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	
9	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु आन लाईन भाग 2 के Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना डिलिट कर संशोधित एन0पी0वी0 की गणना यथास्थान पर अपलोड नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि ऑनलाईन भाग-2 के Additional Information Detail संशोधित संशोधित एन0पी0वी0 की गणना अपलोड कर दिया गया है।
10	आन लाईन भाग 2 के कमांक 5 में गलत डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि आन लाईन भाग 2 के कमांक 5 में सही डाटा फीड किया गया है।
11	उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव का पूर्ण पी0डी0एफ0 फाईल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाईल भी हो, पेन ड्राईव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि संशोधित प्रस्ताव का पूर्ण पी0डी0एफ0 फाईल पेन ड्राईव में अपलोड कर संलग्न कर प्रेषित है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

सख्या-2224/अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को उनके कार्यालय पत्रांक-1293/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक16.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक 1293/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-16-12-2022.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 कै0पी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-1672/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-06.01.2022, पत्रांक-381/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-20.08.2022, पत्रांक-956/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-29.10.2022 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-3275/11-सी- एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांस/44753/2020 दिनांक-20.05.2022, पत्रांक-499/11-सी- एफ0सी0/यू0पी0/ट्रांस/44753/2020 दिनांक-10.08.2022 तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0, पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर के कार्यालय का पत्रांक-2228/वि0प्रे0ख0-गा0/ दिनांक-12.11.2022

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक-1672/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-06.01.2022 तथा पत्रांक-218/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-30.07.2022 द्वारा उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के 499/11-सी- एफ0सी0/यू0पी0/ट्रांस/44753/2020 दिनांक-10.08.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-381/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-20.08.2022, पत्रांक-956/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-29.10.2022 द्वारा प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0, पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर) से अनुरोध किया गया। प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0, पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर) द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक-2228/वि0प्रे0ख0-गा0/ दिनांक-12.11.2022 द्वारा बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु ऑनलाईन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र डिलिट कर संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र यथास्थान पर अपलोड नहीं किया गया है।	ऑनलाईन भाग-2 के Additional Information Detail में संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।

- 2 प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में पुनः प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रकरण में लीज अवधि दिनांक-01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक-01.10.2019 के पश्चात भी वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया गया है। अतः उल्लंघन के सम्बन्ध में सही स्थिति का उल्लेख करते हुए संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाइन अपलोड करें।
- विन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 400 के० वी० ओबरा लीलो डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण में ओबरा वन प्रभाग की लगभग 19.968 हे० वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या 8 बी/04/1692/ 98एफ०सी०, दि०- 08.03.1999 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था। जिसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है एवम् इसके क्रम में उप सचिव उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-जी आई०/322/14.02.99/700(2)/97 दिनांक-01.10.99 द्वारा उक्त विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 19.968 हे० वन भूमि 20 वर्षों हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था। जिसकी लीज अवधि दिनांक-01.10.2019 को समाप्त हो चुका है। तत्पश्चात आनलाइन पोर्टल पर लीज नवीनीकरण हेतु कुछ अभिलेखों की आवश्यकता थी, जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1358 दि०प्र०ख० द्वितीय (वा०) दिनांक 29.08.2019 तथा उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक-130 दि०प्र०उ०ख० तृतीय (रा०) दिनांक-21.10.2019 द्वारा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया था, जिसके क्रम में वन विभाग ओबरा द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी को संयुक्त निरीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक-28.12.2019 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसके क्रम में अवगत कराया गया कि ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी की धारा-20 की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण उक्त लाइन में प्रभावित होने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल तथा गाटा उपलब्ध नहीं हो सका। ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी की धारा-20 की अधिसूचना दिनांक-15.06.2020 को निर्गत किया गया, जिसके पश्चात आवश्यक अभिलेखों के साथ दिनांक-22.07.2020 को लीज नवीनीकरण हेतु आनलाइन डाटा इन्ट्री किया गया। भारत सरकार के पत्र संख्या-8बी/04/1692/98एफ०सी० दि०-08.03.1999 द्वारा गैर

		वानिकी कार्य हेतु दी गई अनुमति में कोई समय सीमा नहीं दिया गया है तथा वर्ष 2019 से नए सर्किल रेट से लीज का रेट भी ससमय जमा किया जाता रहा है। अतः इस कार्यालय द्वारा दिनांक-01.10.19 के पश्चात भी उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न माना जाये। समविषयक प्रकरण (400 कै0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन) में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक- 06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूंकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91- एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।"
3	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन- संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक-1428/11-सी दिनांक- 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डी0एस0एस0 एनालिसिस से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र पुनः संलग्न नहीं किया गया है।	बिन्दु संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है, के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त लाईन में प्रभावित वन भूमि 19.968हे0 के लीज के समय इस कार्यालय द्वारा 19.968हे0 गैर वन भूमि पर वनीकरण हेतु रुपये 8,55,968.00 रुपये मात्र प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर को उपलब्ध करा दी गयी थी। वर्तमान में कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया गया और न ही किया जाना है। जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नहीं बनती है।
4	प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दूगने अवनत वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुसूचण सहित विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	
5	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने (औसधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुसूचण सहित प्राक्कलन पुनः संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	

6	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित जियो रिफरेंसड डिजिटल मैप प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	
7	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	
8	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	
9	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु आन लाईन भाग 2 के Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना डिलिट कर संशोधित एन0पी0वी0 की गणना यथास्थान पर अपलोड नहीं किया गया है।	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail संशोधित संशोधित एन0पी0वी0 की गणना अपलोड कर दिया गया है।
10	आन लाईन भाग 2 के क्रमांक 5 में गलत डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	आन लाईन भाग 2 के क्रमांक 5 में सही डाटा फीड किया गया है।
11	उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव का पूर्ण पी0डी0एफ0 फाईल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाईल भी हो, पेन ड्राईव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	संशोधित प्रस्ताव का पूर्ण पी0डी0एफ0 फाईल पेन ड्राईव में अपलोड कर संलग्न कर प्रेषित है।

अतः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भूकदीय
(अनुग्रह प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।